बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

संख्या– वि० प्रा० (I) आरोप–01/2018/ 5378 /पटना, दिनांक – 05.10.2025

डॉ० चन्द्रभूषण महतो, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी (नालन्दा) सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर के विरूद्ध वित्तीय नियमों के विरूद्ध क्रय कर नाजायज ढंग से आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय आदेश सं०–90 सह–पठित ज्ञापांक–1250 दिनांक–11.04.2019 द्वारा परिवाद पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु जाँच समिति का गठन किया गया।

उक्त जाँच समिति द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि अभिलेखों का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है, साथ ही राशि के व्यय में भी वित्तीय अनुशासन की अनदेखी की गयी है।

उक्त जाँच समिति द्वारा जाँचोपरांत विभाग को उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक–2733 दिनांक–06.08.2019 द्वारा लोकायुक्त कार्यालय बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गयी।

डॉ० महतो के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–2966 दिनांक–26.08.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में डॉ० महतो द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

तदोपरांत आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं०–3874 दिनांक–20.11.2019 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। चूंकि डॉ० महतो पद समूह 'क' के अधिकारी है, अतः घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही संचालन करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–511 दिनांक–03.02.2023 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में कतिपय आरोपो को प्रमाणित पाया गया।

तदनुसार डॉ० चन्द्रभूषण महतो, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी (नालन्दा) सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के उपनियम (VII) के तहत संचयी प्रभाव से एक कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

उक्त शास्ति अंतर्गत निम्न निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(क) दिनांक–01.07.2024 को निर्धारित वेतनमान के आधार पर श्री महतो का तत्काल प्रभाव से सेवानिवृति की तिथि तक वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(ख) शास्ति की अवधि के दरम्यान कोई वेतन वृद्धि/प्रोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त निर्धारित वेतनमान के आधार पर ही सेवांत लाभों का निर्धारण किया जायेगा।

II. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हैं।

ह० 5/10/25
अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) आरोप–01/2018/ 5378 **/पटना, दिनांक –** 05.10.2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/ वित्त कोषांग (वै०दा०नि०को०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर/श्री संजय कुमार अग्रवाल, जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ डॉ० चन्द्रभूषण महतो, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी (नालन्दा) सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 5/10/25
अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
बिहार, पटना।